# अध्याय–4

# परिचालन–उपरांत प्रबंधन एवं सततता

यह अध्याय दीर्घकालिक ग्रामीण जल सततता सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक प्रमुख पहलुओं को समाहित करता है, जिनमें स्रोतों का पुनर्भरण, योजनाओं का समयबद्ध हस्तांतरण, क्षमता निर्माण, जल लेखापरीक्षा, जल मूल्य निर्धारण तंत्र तथा प्रौद्योगिकी के उन्नत उपयोग सम्मिलित हैं।

## 4.1 राज्य में भू–जल स्तर में गिरावट की स्थिति

राज्य के ब्लॉकों को भूजल के वार्षिक पुनर्भरण के आधार पर पाँच श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है, जिनमें अतिदोहित, संकटग्रस्त, अर्ध-संकटग्रस्त, सुरक्षित तथा लवणीय श्रेणियाँ शामिल हैं। इन श्रेणियों का वर्ष-वार विवरण नीचे **तालिका 4.1 में** प्रस्तुत किया गया है:

**तालिका 4.1: राजस्थान में भूजल संसाधनों की वर्ष–वार स्थिति**

| विवरण | 2017 | 2020 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| अतिदोहित ब्लॉक | 185 | 203 | 219 | 216 | 214 |
| संकटग्रस्त ब्लॉक | 33 | 23 | 22 | 23 | 27 |
| अर्ध-संकटग्रस्त ब्लॉक | 29 | 29 | 20 | 22 | 21 |
| सुरक्षित ब्लॉक | 45 | 37 | 38 | 38 | 37 |
| खारे (लवणीय) ब्लॉक | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| **कुल** | **295** | **295** | **302** | **302** | **302** |

***स्रोत: गतिशील भूजल संसाधनों पर रिपोर्ट–2017, 2020, 2022, 2023 और 2024***

उपरोक्त तालिका के आँकड़े यह इंगित करते हैं कि पिछले वर्षों के दौरान राज्य में भूजल की स्थिति में उल्लेखनीय गिरावट आई है। वर्ष 2017 में अतिदोहित ब्लॉकों की संख्या 185 (62.71 प्रतिशत) थी, जो वर्ष 2024 में बढ़कर 214 (70.86 प्रतिशत) हो गई, जो एक गंभीर एवं चिंताजनक रुझान को दर्शाती है। इसी अवधि में सुरक्षित श्रेणी के ब्लॉकों की संख्या 45 (15.25 प्रतिशत) से घटकर 37 (12.25 प्रतिशत) रह गई, जिससे सतत भूजल स्रोतों की उपलब्धता में निरंतर कमी स्पष्ट होती है।

यद्यपि, इस अवधि के दौरान संकटग्रस्त एवं अर्ध-संकटग्रस्त ब्लॉकों की संख्या में मध्यम स्तर की कमी दर्ज की गई, तथापि यह कमी अतिदोहित क्षेत्रों में हुई वृद्धि की क्षतिपूर्ति नहीं कर सकी। यह स्थिति राज्य के भूजल स्तर के संदर्भ में अत्यंत गंभीर एवं चिंताजनक परिदृश्य को दर्शाती है। वर्ष 2024 तक केवल 12.25 प्रतिशत ब्लॉक ही सुरक्षित श्रेणी में शेष रहने के कारण राज्य की दीर्घकालिक जल सुरक्षा पर गंभीर जोखिम उत्पन्न हो गया है, जो सतत जल उपयोग सुनिश्चित करने हेतु सुदृढ़ भूजल पुनर्भरण, विनियमित दोहन एवं व्यवस्थित निगरानी तंत्र की आवश्यकता को रेखांकित करता है।

राज्य सरकार ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए अपने उत्तरों (अगस्त एवं नवंबर 2025) में भूजल स्तर की स्थिति में सुधार हेतु किए जा रहे प्रयासों का उल्लेख किया है, जिनमें अटल भूजल योजना के माध्यम से प्रबंधन एवं निगरानी, सूचना-शिक्षा-संचार गतिविधियाँ, क्षमता विकास

कार्यक्रम तथा राजस्थान भूजल (संरक्षण एवं प्रबंधन) प्राधिकरण विधेयक 2025 का प्रस्तुतीकरण सम्मिलित है।

## 4.2 जेजेएम के क्रियान्वयन में नवोन्मेषी प्रौद्योगिकियों का उपयोग

जेजेएम के परिचालन दिशा-निर्देशों के क्लॉज 3.5 (xv) में मिशन के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु जल के समान वितरण को सुनिश्चित करने की रणनीति के रूप में नवोन्मेषी प्रौद्योगिकियों को अपनाने का सुझाव दिया गया है। इसके अतिरिक्त, जेजेएम के परिचालन दिशा-निर्देशों के अध्याय 8 में सुरक्षित जल उपलब्धता तथा जलापूर्ति प्रणालियों की कार्यक्षमता सुनिश्चित करने हेतु कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डेटा एनालिटिक्स, ब्लॉक-चेन प्रौद्योगिकी, मशीन लर्निंग, नैनो-प्रौद्योगिकी इत्यादि जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों के उपयोग का प्रावधान किया गया है।

तथापि, नवोन्मेषी प्रौद्योगिकियों के उपयोग से सम्बंधित विभागीय अभिलेखों की लेखापरीक्षा में इनके अपनाने एवं क्रियान्वयन में कई कमियां प्रकट हुईं, जो निम्न प्रकार से हैं:

- वर्ष 2021-22 की वार्षिक कार्य-योजना के अंतिमीकरण के दौरान, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग (डीडीडब्ल्यूएस) द्वारा जेजेएम के अंतर्गत घरेलू स्तर पर सेवा वितरण की निगरानी हेतु इंटरनेट ऑफ थिंग्स (आईओटी) आधारित सेंसर एवं आई-क्लाउड को सम्मिलित करने के निर्देश दिए गए थे। राज्य द्वारा वर्ष 2022-23 की वार्षिक कार्य-योजना में नवाचार/आईओटी के अंतर्गत ₹ 301 करोड़ के व्यय की योजना बनाई गई। तथापि, लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि विभाग द्वारा 'जेजेएम नवाचार चुनौती-2023' नामक हैकाथॉन का प्रस्ताव किया गया था, परंतु संबंधित एजेंसी द्वारा समय पर प्रत्युत्तर नहीं दिए जाने के कारण यह गतिविधि प्रारंभ नहीं हो सकी। इसके पश्चात, वर्ष 2023-24 की वार्षिक कार्य-योजना में नवाचार/अनुसंधान एवं विकास गतिविधि हेतु प्रावधान को भारत सरकार द्वारा अनुमोदन नहीं दिया गया।

- जेजेएम के परिचालन दिशा-निर्देशों के क्लॉज 8.4 के अनुसार, भू-जल स्रोतों की अवस्थिति हेतु हाइड्रो-जियो-मॉर्फोलॉजिकल मानचित्रों का उपयोग, पेयजल अवसंरचना की अवस्थिति हेतु ग्रामस्तरीय डिजिटल कन्टूर मानचित्रों का उपयोग तथा अतिरिक्त अवसंरचना की योजना हेतु उपलब्ध परिसंपत्तियों की डिजिटल सूची तैयार करने का सुझाव भी दिया गया था, जिससे स्मार्ट प्रबंधन एवं बेहतर सेवाएं सुनिश्चित की जा सकें। लेखापरीक्षा में पाया गया कि राज्य में जेजेएम की किसी भी योजना में उपर्युक्त तीन उपयोगिताओं का प्रयोग नहीं किया गया।

- ग्राम में स्थापित रिवर्स ऑस्मोसिस (आरओ) उपचार संयंत्र से निष्कासित अपशिष्ट जल की पर्याप्त मात्रा होती है, जो संयंत्र के रिकवरी अनुपात के आधार पर, प्रविष्ट जल का लगभग 60 प्रतिशत आंकी गई है। यह निष्कासित जल प्रायः खुले नाले में अथवा आसपास फेंक दिया जाता है। जेजेएम के परिचालन दिशा-निर्देशों के क्लॉज 8.2.1 के अनुसार, इस निष्कासित जल का समुचित प्रबंधन आवश्यक है तथा इसे पृथक रूप से विशेष रूप से डिज़ाईन की गई संरचनाओं में संग्रहित कर गैर-पेय एवं गैर-कृषि उपयोगों हेतु प्रयोग किया जाना चाहिए।

लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि राजस्थान में जेजेएम के अंतर्गत बाड़मेर जिले को छोड़कर अन्य किसी भी जिले में आरओ संयंत्र स्वीकृत नहीं किए गए। साथ ही, निष्कासित जल के समुचित उपयोग हेतु राज्य द्वारा कोई निष्कासित जल प्रबंधन नीति भी तैयार नहीं की गई।

- जेजेएम के परिचालन दिशा-निर्देशों के क्लॉज 8.1 में बिखरे/अलग-थलग/जनजातीय/पर्वतीय गांवों में न्यूनतम संचालन एवं रखरखाव (ओएंडएम) लागत वाले सौर ऊर्जा आधारित स्वतंत्र जलापूर्ति प्रणालियों की संभावना तलाशने का प्रावधान किया गया था। लेखापरीक्षा ने, नमूना-जांच किये गये सात जिलों में से छह[1] में ऐसे किसी भी तंत्र को स्वीकृत किया हुआ नही पाया। पीएचईडी खण्ड राजगढ़ (जिला अलवर) में यद्यपि वर्ष 2021-22 के दौरान नवोन्मेषी प्रौद्योगिकियों पर आधारित 19 स्वतंत्र जलापूर्ति प्रणालियां स्वीकृत की गई थीं, किंतु इनमें से एक भी प्रणाली स्थापित नहीं की गई।

- जेजेएम के परिचालन दिशा-निर्देशों के क्लॉज 8.2 के अंतर्गत आर्सेनिक, फ्लोराइड, आयरन एवं अन्य भारी धातुओं से प्रभावित बस्तियों में तात्कालिक राहत प्रदान करने हेतु सामुदायिक जल शोधन संयंत्र (सीडब्ल्यूपीपी) की स्थापना को अल्पकालिक उपाय के रूप में सुझाया गया था, जिससे पीने एवं भोजन पकाने हेतु प्रति व्यक्ति प्रति दिन 8-10 लीटर जल उपलब्ध कराया जा सके। तथापि, यह पाया गया कि चयनित जिलों में से किसी भी जिले में सीडब्ल्यूपीपी की ना तो कोई योजना बनाई गई और ना ही स्वीकृति दी गई, केवल अलवर जिले में तीन सीडब्ल्यूपीपी स्थापित किए गए।

स्पष्ट दिशा-निर्देशों के बावजूद, राज्य द्वारा जेजेएम के अंतर्गत जलापूर्ति प्रणालियों की दक्षता, निगरानी एवं सततता में सुधार हेतु तकनीकी प्रगति का समुचित उपयोग नहीं किया गया। परिणामस्वरूप, ग्रामीण राजस्थान में समान एवं विश्वसनीय जल सेवायें प्रदान करने की मिशन की क्षमता सीमित रह गई।

राज्य सरकार ने अवगत कराया (नवंबर 2025) कि नवोन्मेषी प्रौद्योगिकियों का उपयोग किया जा रहा है तथा एक आईओटी आधारित निगरानी प्रणाली विकसित की जाएगी। उत्तर मान्य नहीं है, क्योंकि नवोन्मेषी प्रौद्योगिकियों को अपनाने के संबंध में कोई विवरण अथवा साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया।

## 4.3 ग्रामीण जलापूर्ति योजनाओं में जल एवं ऊर्जा लेखापरीक्षा का अभाव

भारत सरकार के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय द्वारा जारी ग्रामीण जलापूर्ति प्रणालियों हेतु संचालन एवं रखरखाव पुस्तिका (मई 2013) में ग्रामीण जल वितरण प्रणाली की नियमित जल लेखापरीक्षा तथा जल लेखांकन पद्धतियों की परिकल्पना की गई है। इसके अतिरिक्त, जेजेएम के परिचालन दिशा-निर्देशों के क्लॉज 8.7 के अनुसार, जलापूर्ति प्रणालियों की दक्षता में सुधार हेतु राज्यों को चिन्हित प्रणालियों की नियमित जल लेखापरीक्षा करने की सलाह दी गई है, ताकि प्रभावी सुधार सुनिश्चित किया जा सके।

[1] बारां, पाली, जोधपुर-ग्रामीण, जैसलमेर, सिरोही एवं हनुमानगढ़।

इसी प्रकार, ऊर्जा लेखापरीक्षा को एक व्यवस्थित प्रक्रिया के रूप में निष्पादित किया जाना था, जिसमें वास्तविक ऊर्जा खपत और संगणित ऊर्जा आवश्यकताओं के बीच लेखांकन एवं मिलान किया जाता है, तथा सभी ऊर्जा उपयोग करने वाले उपकरणों एवं विद्युत संचरण प्रणालियों में रेटेड दक्षता और ऊर्जा हानियों को ध्यान में रखा जाता है।

लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि विभाग द्वारा किसी भी ग्रामीण जलापूर्ति योजना में जल एवं ऊर्जा लेखापरीक्षा नहीं कराई गई। परिणामस्वरूप, रिसाव के कारण जल हानि, अनाधिकृत अथवा अवैध जल निकासी तथा ऊर्जा उपयोग में अक्षमताओं से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों की पहचान एवं रोकथाम नहीं की जा सकी।

इससे परिचालन प्रदर्शन में सुधार एवं जल आपूर्ति अवसंरचना की सततता की सुनिश्चितता के प्रयास बाधित हुए।

राज्य सरकार ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए अवगत कराया (नवंबर 2025) कि विभाग की संचालन एवं रखरखाव नीति के अनुसार, योजनाओं की पूर्णता के पश्चात जल एवं ऊर्जा लेखापरीक्षा का कार्य किया जाएगा।

## 4.4 ग्रामीण जलापूर्ति योजनाओं में जल मूल्य/टैरिफ निर्धारित किए जाने तथा जल राजस्व वसूल किये जाने का अभाव

राज्य जल नीति के क्लॉज 8.1.1 के अनुसार, सभी जल दरें इस प्रकार निर्धारित की जानी थीं कि वे जल की न्यूनता के महत्त्व को प्रतिबिंबित करें तथा जल के मितव्ययी उपयोग को प्रोत्साहित करें। इसके अतिरिक्त, क्लॉज 8.1.2 में यह भी प्रावधान किया गया है कि जल शुल्क (टैरिफ) को क्रमिक रूप से संचालन एवं रख-रखाव की पूर्ण लागत की ओर अग्रसर करने के उद्देश्य से निर्धारित किया जाएगा। साथ ही, स्रोत अथवा स्वामित्व की परवाह किए बिना, जल के सभी प्रमुख उपयोगों हेतु मीटरिंग कार्यक्रम लागू करने की सिफारिश भी की गई थी।

इसके अतिरिक्त, जेजेएम के परिचालन दिशा-निर्देशों के क्लॉज 3.5 (xxvi) में जल की बर्बादी को हतोत्साहित करने तथा थोक जल हस्तांतरण, शोधन, वितरण नेटवर्क एवं घरेलू स्तर पर जलापूर्ति से संबंधित आवर्ती व्यय को वहन करने हेतु नीति में प्रोत्साहन एवं निरुत्साहन तंत्र को सम्मिलित करने की आवश्यकता पर बल दिया गया है। राज्य सरकार को घरेलू नल कनेक्शन उपलब्ध कराने तथा जल आपूर्ति के लिए उपयोगकर्ता शुल्क निर्धारण संबंधी निर्णय लेने हेतु ग्राम जल एवं स्वच्छता समितियों (वीडब्ल्यूएससी) को सुविधा प्रदान करनी थी।

तथापि, मुख्य अभियंता (जेजेएम) के अभिलेखों की लेखापरीक्षा में निम्नलिखित कमियाँ पाई गईं:

- ग्रामीण जलापूर्ति योजनाओं में संचालन एवं रखरखाव लागत की वसूली हेतु कोई जल टैरिफ संरचना एवं बिलिंग प्रणाली स्थापित नहीं की गई।
- योजनाओं की डिज़ाईन में मीटरयुक्त कनेक्शनों को सम्मिलित नहीं किया गया।
- विभाग द्वारा जलापूर्ति योजनाओं से राजस्व संग्रहण हेतु कोई वार्षिक लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया।

इस प्रकार की वित्तीय योजना के अभाव ने योजनाओं की कमीशनिंग के पश्चात वीडब्ल्यूएससी की ग्राम-स्तरीय जलापूर्ति प्रणालियों के प्रभावी प्रबंधन एवं रख्खरख्खाव की क्षमता को प्रभावित किया। परिणामस्वरूप, सुनिश्चित परिचालन निधि के अभाव में नियमित जलापूर्ति की स्थिरता जोख्विमग्रस्त बनी रहती है। चयनित ग्रामों के 560 लाभार्थियों के सर्वेक्षण के दौरान 407 लाभार्थियों (72.68 प्रतिशत) ने ग्राम-स्तरीय अवसंरचना के संचालन एवं रख-रख्खाव हेतु मासिक उपभोक्ता शुल्क देने पर सहमति व्यक्त की, जबकि 153 लाभार्थियों (27.32 प्रतिशत) ने भुगतान करने से इंकार किया।

राज्य सरकार ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए अवगत कराया (अगस्त एवं नवंबर 2025) कि जल टैरिफ निर्धारण तथा जल राजस्व संग्रहण का विषय, आगामी संचालन एवं रख-रख्खाव नीति में सम्मिलित किया जाएगा।

## 4.5 जेजेएम के क्रियान्वयन में स्रोत सततता उपायों को न अपनाया जाना

जेजेएम के प्रमुख उद्देश्यों में से एक जल आपूर्ति प्रणालियों की सततता सुनिश्चित करना है, जिसमें जल स्रोतों की स्थिरता भी सम्मिलित है। जेजेएम के परिचालन दिशा-निर्देशों के क्लॉज 3.5 (xvi) के अनुसार, जल स्रोत पुनर्भरण के उपाय, जैसे बोरवेल रिचार्ज हेतु विशिष्ट संरचनाएँ, वर्षा जल पुनर्भरण आदि को वाटरशेड/स्प्रिंगशेड सिद्धांतों के आधार पर अपनाया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, एनजेजेएम द्वारा मार्च 2023 में भू-जल आधारित योजनाओं में प्रत्यक्ष स्रोत पुनर्भरण की योजना बनाने की भी सलाह दी गई थी।

लेख्यापरीक्षा में यह पाया गया कि विभाग ने वर्ष 2019-24 के दौरान प्रत्यक्ष स्रोत पुनर्भरण हेतु वार्षिक कार्य-योजना (एएपी) के अंतर्गत कोई भी योजना नहीं बनाई।

चयनित 28 ग्रामों में ग्राम-स्तरीय जलापूर्ति अवसंरचना से संबंधित अभिलेख्यों की लेख्यापरीक्षा में निम्नलिख्वित तथ्य सामने आए:

- 19 ग्रामों में अवसंरचना सतही जल स्रोतों पर आधारित थी। अतः इन ग्रामों में स्रोत सततता उपायों की आवश्यकता नहीं थी।
- शेष नौ ग्राम भू-जल (ट्यूबवेल) पर निर्भर थे।
  - ➢ इनमें से सात ग्रामों में पुनर्भरण संरचनाओं के निर्माण का कोई प्रावधान नहीं किया गया था।
  - ➢ दो ग्रामों (जावली तथा रतावली) में यद्यपि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) में पुनर्भरण संरचनाओं का प्रावधान किया गया था, किंतु इनका क्रियान्वयन नहीं किया गया।

जेजेएम के अंतर्गत स्रोत सततता उपायों की योजना एवं क्रियान्वयन का अभाव, विशेषकर भू-जल आधारित योजनाओं के लिए, निर्धारित दिशा-निर्देशों का अनुपालन न होने को दर्शाता है। ट्यूबवेल पर निर्भर गांवों में पुनर्भरण संरचनाएँ उपलब्ध न कराना, तथा स्वीकृत प्रावधानों का निष्पादन न किया जाना, जल स्रोतों के क्षरण के जोख्विम को बढ़ाता है। इससे पेयजल आपूर्ति की

दीर्घकालिक विश्वसनीयता प्रभावित होती है, मौसमी जल संकट की आशंका बढ़ती है तथा मिशन के सततता संबंधी उद्देश्यों से समझौता होता है।

राज्य सरकार ने अवगत कराया (अगस्त 2025) कि जहाँ भी संभव था, जेजेएम के अंतर्गत पुनर्भरण संरचनाओं का निर्माण किया गया है तथा संबंधित कार्य भू-जल विभाग एवं जल-ग्रहण (वाटरशेड) विभाग द्वारा भी किया जा रहा है। आगे यह भी बताया गया (नवंबर 2025) कि भू-जल के संरक्षण एवं प्रबंधन हेतु राजस्थान भू-जल (संरक्षण एवं प्रबंधन) प्राधिकरण विधेयक, 2025 प्रस्तुत किया गया है। उत्तर मान्य नहीं है, क्योंकि लेखापरीक्षा के दौरान भू-जल पर निर्भर किसी भी चयनित गांव में पुनर्भरण संरचनाओं का निर्माण नहीं पाया गया।

## 4.6 पूर्ण जल आपूर्ति योजनाओं को ग्राम जल एवं स्वच्छता समितियों को हस्तांतरित न किया जाना

जेजेएम के दिशा-निर्देशों के अनुसार, मिशन के अंतर्गत निर्मित ग्राम-स्तरीय जलापूर्ति योजनाओं को संचालन एवं रख-रखाव हेतु संबंधित ग्राम जल एवं स्वच्छता समितियों (वीडब्ल्यूएससी) को हस्तांतरित किया जाना था।

तथापि, जेजेएम-आईएमआईएस प्रतिवेदन (2019-2024) से प्राप्त आंकड़ों से यह प्रकट हुआ कि राज्य में जेजेएम के अंतर्गत निर्मित कुल 2,785 ग्राम-स्तरीय जलापूर्ति योजनाओं में से केवल 858 योजनाएँ (30.81 प्रतिशत) ही आगे के संचालन एवं रख-रखाव हेतु संबंधित वीडब्ल्यूएससी को हस्तांतरित की गई थी। चयनित सात जिलों में स्थिति और भी चिंताजनक रही, जहाँ 682 योजनाओं में से मात्र 39 योजनाएँ (5.72 प्रतिशत) ही संबंधित वीडब्ल्यूएससी को सौंपी गईं। शेष 643 योजनाएँ, पूर्ण होने के पश्चात् नौ से 57 माह की अवधि व्यतीत हो जाने के बावजूद, वीडब्ल्यूएससी को हस्तांतरित नहीं की गईं।

चयनित जिलों में निम्न विशिष्ट कमियाँ सम्मिलित हैं:

- जैसलमेर जिले में 12 पूर्ण योजनाओं के प्रकरण में संबंधित वीडब्ल्यूएससी ने आगे के संचालन एवं रख-रखाव हेतु योजनाएँ ग्रहण करने से इंकार कर दिया, क्योंकि जिला सरपंच संघ, जैसलमेर द्वारा जेजेएम के अंतर्गत किसी भी पूर्ण योजना को अपने अधीन न लेने का निर्णय किया गया था।

- सिरोही जिले में 42 पूर्ण योजनाएँ हस्तांतरित नहीं किए जाने का कारण वीडब्ल्यूएससी द्वारा प्रशिक्षित मानव संसाधन की कमी तथा संचालन एवं रख-रखाव हेतु बजट की अनुपलब्धता बताया गया।

इसके अतिरिक्त, बारां जिले में यह भी पाया गया कि वीडब्ल्यूएससी को हस्तांतरित की गई योजनाओं से संबंधित 71 विद्युत कनेक्शनों के लगभग ₹ एक करोड़ के विद्युत बिलों का भुगतान लंबित था।

ये निष्कर्ष जेजेएम की परिचालन-उपरांत व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण कमी को दर्शाते हैं। एक स्पष्ट एवं प्रभावी संचालन एवं रख-रखाव नीति के अभाव में तथा वीडब्ल्यूएससी स्तर पर अपर्याप्त

तैयारी के कारण, जेजेएम का विकेंद्रीकृत, समुदाय-प्रबंधित एवं मांग-आधारित कार्यक्रम होने का मूल उद्देश्य प्रभावित हुआ।

राज्य सरकार ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए अवगत कराया (नवंबर 2025) कि स्पष्ट संचालन एवं रख-रखाव नीति के अभाव में ग्राम-स्तर पर अनिश्चितता एवं अनिच्छा उत्पन्न हुई, जिसके परिणामस्वरूप वीडब्ल्यूएससी ने योजनाएँ ग्रहण करने से इंकार किया। तथापि, संचालन एवं रख-रखाव नीति, स्वीकृति की प्रक्रिया में है तथा स्वीकृति उपरांत योजनाओं को वीडब्ल्यूएससी को हस्तांतरित किया जाएगा एवं योजना हस्तांतरण की प्रक्रिया को शीघ्रता से किया जाएगा।

## 4.7 'हर घर जल' स्थिति वाले ग्रामों की रिपोर्टिंग/प्रमाणीकरण न किया जाना

जेजेएम के परिचालन दिशा-निर्देशों में 'हर घर जल' (एचजीजे) प्रमाणन की परिकल्पना इस उद्देश्य से की गई थी कि मिशन के अंतर्गत प्रदान किए गए कार्यशील घरेलू नल कनेक्शनों (एफएचटीसी) के समावेशन एवं कार्यक्षमता के संबंध में ग्राम समुदाय से पुष्टि प्राप्त की जा सके।

एचजीजे का प्रमाणीकरण निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति के पश्चात् ही किया जाना था:

- ग्राम के सभी परिवारों को एफएचटीसी प्रदान किए गए हों,
- सभी विद्यालयों एवं आंगनवाड़ी केंद्रों में नल कनेक्शन उपलब्ध कराए गए हों,
- योजना सभी दृष्टियों से पूर्ण हो,
- सामुदायिक अंशदान जमा करा दिया गया हो,
- पंचायत द्वारा योजना को अपने अधीन लेने की सहमति व्यक्त की गई हो,
- संचालन एवं रख-रखाव हेतु प्रशिक्षण पूर्ण किया गया हो, तथा
- योजना का वित्तीय समापन किया जा चुका हो।

निदेशक, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग (डीडीडब्ल्यूएस), एनजेजेएम द्वारा मई 2023 में राज्यों को एक परामर्श जारी किया गया, जिसमें 100 प्रतिशत एफएचटीसी समावेशन प्राप्त कर चुके ग्रामों के एचजीजे प्रमाणीकरण में तेजी लाने का आग्रह किया गया। इसके अतिरिक्त, सचिव, डीडीडब्ल्यूएस ने अक्टूबर 2023 में प्रमाणीकरण की धीमी प्रगति पर चिंता व्यक्त की तथा समीक्षा करने, 100 प्रतिशत एफएचटीसी समावेशन वाले ग्रामों को एचजीजे प्रमाणित के रूप में प्रतिवेदित करने तथा एचजीजे के रूप में प्रतिवेदित किए गए ग्रामों के प्रमाणीकरण की प्रक्रिया में शीघ्रता लाने के निर्देश दिए।

सात चयनित जिलों (कुल 6,485 ग्रामों) की लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि:

- 100 प्रतिशत एफएचटीसी समावेशन वाले 890 ग्रामों में से केवल 661 ग्रामों (74.27 प्रतिशत) को ही एचजीजे प्रमाणीकरण हेतु प्रतिवेदित किया गया, तथा

- 01 अप्रैल 2024 तक मात्र 306 ग्रामों (34.38 प्रतिशत) को ही वास्तव में एचजीजे स्थिति से प्रमाणित किया गया था।

यह स्थिति दर्शाती है कि भौतिक अवसंरचना उपलब्ध होने के बावजूद एचजीजे प्रमाणीकरण प्राप्त करने में उल्लेखनीय कमी रही, जिससे जेजेएम के अंतर्गत परिकल्पित प्रमाणीकरण प्रक्रिया को पूर्ण करने हेतु प्रशासनिक अनुवर्ती कार्रवाई एवं समुदाय की सक्रिय भागीदारी की आवश्यकता स्पष्ट होती है।

राज्य सरकार ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए अवगत कराया (नवंबर 2025) कि विभाग के सभी क्षेत्रीय अधिकारियों को नियमित निर्देश दिए जा रहे हैं कि वे सरपंचों एवं पंचायती राज संस्थाओं के कर्मियों के समन्वय से प्रमाणीकरण में अंतर को पूर्ण करें, तथा संचालन एवं रख-रखाव नीति के क्रियान्वयन के पश्चात् एचजीजे प्रमाणीकरण की प्रक्रिया में सुधार की अपेक्षा है।

तथ्य यह है कि एचजीजे प्रमाणीकरण केवल पीएचईडी एवं ग्राम समुदाय के बीच औपचारिक प्रक्रिया मात्र नहीं है, बल्कि यह ग्राम-स्तरीय जलापूर्ति अवसंरचना के समावेशन एवं कार्यक्षमता के संबंध में सभी दृष्टियों से आश्वासन भी प्रदान करता है।

## 4.8 आवश्यक शर्तों की पूर्ति किए बिना ग्रामों का प्रमाणीकरण

एनजेजेएम द्वारा मई 2023 में जारी निर्देशों के अनुसार, किसी ग्राम को 'हर घर जल' स्थिति से प्रमाणित किए जाने से पूर्व कुछ अनिवार्य शर्तों की पूर्ति किया जाना आवश्यक था। इनमें सभी परिवारों एवं सार्वजनिक संस्थानों (जैसे विद्यालयों एवं आंगनवाड़ी केंद्रों) को एफएचटीसी उपलब्ध कराना तथा योजना को सभी दृष्टियों से पूर्ण करना सम्मिलित था।

तथापि, चयनित 28 ग्रामों में अभिलेखों की समीक्षा, संयुक्त भौतिक निरीक्षण, लाभार्थी सर्वेक्षण, वीडब्ल्यूएससी सर्वेक्षण तथा फोकस ग्रुप चर्चाओं के दौरान महत्वपूर्ण विचलन पाए गए।

चयनित ग्रामों में से 11 ग्रामों में एक या अधिक अनिवार्य शर्तों की पूर्ति नहीं की गई थी, इसके बावजूद इन ग्रामों को एचजीजे स्थिति से प्रमाणित दर्शाया गया ***(विवरण परिशिष्ट-2 में दिया गया है)***।

यह प्रमाणन प्रक्रिया में गंभीर चूक को दर्शाता है तथा जेजेएम ढांचे के अंतर्गत प्रदान की गई एचजीजे स्थिति की विश्वसनीयता एवं प्रामाणिकता पर प्रश्नचिह्न उत्पन्न करता है।

राज्य सरकार द्वारा (अगस्त 2025) अनिवार्य शर्तों की पूर्ति किए बिना ग्रामों को प्रमाणित किए जाने के कारणों के संबंध में कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया।

## 4.9 जेजेएम के अंतर्गत 'नल जल मित्र' कार्यक्रम का आंशिक क्रियान्वयन

जेजेएम के अंतर्गत सृजित जलापूर्ति योजनाओं के संचालन एवं रख-रखाव का ग्राम पंचायतों/वीडब्ल्यूएससी द्वारा दक्षतापूर्वक प्रबंधन सुनिश्चित किये जाने हेतु प्रशिक्षित मानव संसाधनों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, जेजेएम के परिचालन दिशा-निर्देशों के क्लॉज 9.4 में प्रशिक्षण प्रयासों पर विशेष बल दिया गया है।

इस आवश्यकता की पूर्ति हेतु, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) के सहयोग से 'नल जल मित्र कार्यक्रम' (एनजेएमपी) प्रारंभ किया गया। इस पहल का उद्देश्य स्थानीय ग्रामीण निवासियों को प्लंबिंग, विद्युत कार्य, राजमिस्त्री कार्य, पंप संचालन तथा अन्य सहायक कौशलों में बहु-कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना था।

प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का निर्माण, जल प्रबंधन एवं प्लंबिंग कौशल परिषद (डब्ल्यूएमपीएससी) तथा एनजेजेएम द्वारा किया गया था। इसका क्रियान्वयन राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन (एसडब्ल्यूएसएम) तथा राज्य कौशल विकास मिशन (एसकेडीएम) के समन्वित प्रयासों से किया जाना था। एनजेएमपी के अंतर्गत प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिए कम से कम एक तथा अधिमानतः दो व्यक्तियों को प्रशिक्षित एवं प्रमाणित किया जाना प्रस्तावित था। राज्य के 45,000 व्यक्तियों को बहु-कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु जून 2020 में राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम (आरएसएलडीसी) के साथ एक एमओयू संपादित किया गया।

लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि:

- जून 2024 तक राज्य की कुल 11,208 ग्राम पंचायतों में से केवल 8,842 ग्राम पंचायतों (78.89 प्रतिशत) में ही विभाग द्वारा नल जल मित्रों का चयन किया गया।
- कुल 45,000 के लक्ष्य की तुलना में केवल 25,890 व्यक्तियों (57.53 प्रतिशत) का ही नल जल मित्र के रूप में चयन किया गया।
- इसके अतिरिक्त, चयनित बारां एवं हनुमानगढ़ जिलों में किसी भी व्यक्ति को नल जल मित्र के रूप में प्रशिक्षित नहीं किया गया।

शेष पाँच चयनित जिलों के संबंध में विभाग द्वारा कोई सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई। प्रशिक्षित मानव संसाधन की इस कमी से ग्रामीण जलापूर्ति योजनाओं के संचालन एवं रख-रखाव की सततता प्रभावित करता है तथा ग्रामीण युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य की पूर्ति भी बाधित करता है।

राज्य सरकार ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए (नवंबर 2025) अवगत कराया कि पात्र अभ्यर्थियों के चयन एवं नामांकन को अंतिम रूप देने हेतु पंचायती राज विभाग के साथ नियमित रूप से अनुवर्ती कार्रवाई की जा रही है तथा सूची प्राप्त होने के पश्चात् कौशल, रोजगार एवं उद्यमिता विभाग द्वारा राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से उनका प्रशिक्षण कराया जाएगा।

## 4.10 निष्कर्षों का सारांश

इस अध्याय से यह उजागर होता है कि भू-जल का चिंताजनक दर से दोहन निरंतर जारी है तथा 70 प्रतिशत से अधिक ब्लॉक अतिदोहन की श्रेणी में हैं, इसके बावजूद योजनाओं में स्रोत सततता उपायों का व्यापक रूप से अभाव पाया गया। अधिकांश मामलों में नीति संबंधी अस्पष्टता, वित्तीय प्रावधानों की कमी तथा प्रशिक्षित मानव संसाधनों के अभाव के कारण पूर्ण हुई योजनाओं को वीडब्ल्यूएससी को हस्तांतरित नहीं किया गया। हर घर जल प्रमाणन प्रक्रिया भी कमजोर पाई गई, जिसमें विलंब, आंशिक प्रतिवेदन तथा आवश्यक शर्तों की पूर्ति के बिना प्रमाणन किए जाने के उदाहरण मिले, जिससे इसकी विश्वसनीयता प्रभावित हुई। इसके अतिरिक्त, जल एवं ऊर्जा

लेखापरीक्षा का अभाव, जल दरों के निर्धारण का अभाव तथा नवोन्मेषी प्रौद्योगिकियों का सीमित उपयोग, योजना की संचालन संबंधी कमजोरी को दर्शाता है। नल जल मित्र प्रशिक्षण के आंशिक क्रियान्वयन ने भी योजनाओं की स्थिरता संबंधी चिंताओं को और बढ़ाया है। समग्र रूप से, ये कमियाँ राज्य में जेजेएम योजनाओं की दीर्घकालिक विश्वसनीयता, कार्यक्षमता तथा वित्तीय व्यवहार्यता के लिए गंभीर जोखिम उत्पन्न करती हैं।

## 4.11 सिफारिशें

- *हर घर जल प्रमाणन की सततता एवं स्वीकार्यता में सुधार हेतु राज्य सरकार ग्राम पंचायतों तथा वीडब्ल्यूएससी को योजना निर्माण, प्रमाणन तथा क्रियान्वयन पश्चात संचालन एवं रख-रखाव में व्यवस्थित रूप से सम्मिलित कर सकती है। इसके लिए संरचित क्षमता-विकास कार्यक्रम, भूमिकाओं एवं दायित्वों का स्पष्ट निर्धारण तथा सामुदायिक प्रबंधन आधारित प्रणाली में संक्रमण के दौरान आवश्यक मार्गदर्शन एवं सहयोग प्रदान किया जाना चाहिए।*

- *राज्य सरकार सभी भूजल-आधारित जेजेएम योजनाओं में पुनर्भरण संरचनाओं तथा वर्षा जल संचयन सहित स्रोत सततता उपायों को अनिवार्य एवं वित्तपोषित कर सकती है। साथ ही, इनकी भौतिक पूर्णता को योजना की कमीशनिंग से जोड़ा जाए और इसकी प्रविष्टि आईएमआईएस में अभिलेखित किया जाये।*

- *राज्य सरकार स्पष्ट भूमिकाओं, वित्तीय व्यवस्थाओं एवं समय-सीमाओं सहित एक व्यापक संचालन एवं रख-रखाव नीति को अंतिम रूप देकर अधिसूचित कर सकती है तथा मानव संसाधन, वित्त एवं प्रशिक्षण की तत्परता के प्रमाणीकरण के पश्चात् पूर्ण योजनाओं का वीडब्ल्यूएससी को समयबद्ध हस्तांतरण सुनिश्चित कर सकती है।*

- *राज्य सरकार ग्रामीण जलापूर्ति योजनाओं के लिए आवधिक जल एवं ऊर्जा लेखापरीक्षा को संस्थागत रूप प्रदान कर सकती है, जिसका प्रारंभ उच्च खपत वाली तथा भू-जल आधारित योजनाओं से की जाए, तथा लेखापरीक्षा निष्कर्षों का उपयोग, हानियों को कम करने एवं परिचालन लागत के अनुकूलन हेतु किया जाए।*

- *राज्य सरकार ग्रामीण जलापूर्ति योजनाओं के लिए, मीटरिंग अथवा वैकल्पिक मापन तंत्रों की सहायता से एक श्रेणीबद्ध जल टैरिफ ढाँचा लागू कर सकती है तथा वीडब्ल्यूएससी द्वारा संचालन एवं रख-रखाव शुल्क संग्रहण हेतु वार्षिक लक्ष्य निर्धारित कर सकती है।*

- *राज्य सरकार सभी ग्राम पंचायतों को आच्छादित करने हेतु नल जल मित्रों के प्रशिक्षण एवं प्रमाणन की प्रक्रिया में तेजी ला सकती है तथा उनके नियोजन को योजनाओं के हस्तांतरण उपरांत संचालन एवं रख-रखाव सहायता से जोड़ सकती है, ताकि निर्बाध एवं सतत जलापूर्ति सेवाएँ सुनिश्चित की जा सकें।*